मीरजापुर पुलिस
प्रेस नोट
दिनांकः07.11.2023
थाना कछवां क्षेत्रान्तर्गत हुई हत्या का सफल अनावरण , घटना से सम्बन्धित 03 अभियुक्त गिरफ्तार , घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल व मोटरसाइकिल बरामद —

थाना कछवां , जनपद मीरजापुर पर दिनांकः04.11.2023 को वादिनी सुमन देवी पत्नी राजा पटेल निवासिनी जमुआ थाना कछवां जनपद मीरजापुर द्वारा अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध वादिनी के पति राजा पटेल उम्र करीब-35 वर्ष की धारदार हथियार से हमलाकर घायल करने तथा इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी। प्राप्त तहरी के आधार पर थाना कछवां पर मु0अ0सं0-189/2023 धारा 304 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर ‘अभिनंदन’ द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए यथाशीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना कछवां को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कछवां पर पंजीकृत उक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में सुरागरसी पतारसी व इलेक्ट्रानिक/भौतिक साक्ष्यों के आधार पर 304 भादवि का लोप कर धारा 302 भादवि संकलित करते हुए दिनांकः 06.11.2023 को थाना कछवां पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रकाश में आयें अभियुक्तों 1. ओंकार पटेल पुत्र राजबली पटेल , 2. राहुल पटेल पुत्र रामजी पटेल, 3. अजय पटेल पुत्र स्व0 केशव पटेल निवासीगण जमुआ थाना कछवां जनपद मीरजापुर को थाना कछवां क्षेत्रांतर्गत से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद चाकू , एक अदद बैट व टूटा बैट का हत्था व मोटरसाइकिल बरामद किया गया। मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया तथा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ —

गिरफ्तार अभियुक्त ओंकार पटेल द्वारा बताया गया कि राजा पटेल की पत्नी सुमन से एक तरफा प्रेम करता था। कुछ दिनों पहले सुमन से बात करते हुए राजा पटेल ने देख लिया था जिस बात को लेकर राजा पटेल के साथ कहासुनी हो गयी थी। इसी बात को लेकर योजना बनाकर अपने अन्य दो साथियों राहुल व अजय के साथ मिलकर राजा पटेल की हत्या कर दी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —
1. ओंकार पटेल पुत्र राजबली पटेल निवासी जमुआ थाना कछवां जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-23 वर्ष।
2. राहुल पटेल पुत्र रामजी पटेल निवासी जमुआ थाना कछवां जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-23 वर्ष।
3. अजय पटेल पुत्र स्व0 केशव पटेल निवासी जमुआ थाना कछवां जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-25 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग —
मु0अ0सं0-189/2023 धारा 302 भादवि थाना कछवां जनपद मीरजापुर।
विवरण बरामदगी —

- **आलाकत्ल एक अदद चाकू।**
- **एक अदद बैट व टूटा हुआ बैट का हत्था।**
- **एक अदद मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलेण्डर।**
- **04 अदद मोबाइल।**

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —
कोहड़िया बार्डर के पास से, दिनांकः 06.11.2023 को समय 16.00 बजे।
गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —
प्रभारी निरीक्षक थाना कछवां- रविन्द्र भूषण मौर्य मय पुलिस टीम।
एसओजी प्रभारी निरीक्षक माधव सिंह मय पुलिस टीम।

SHAILENDRA TRIPATHI